

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।

Fax No. 2780290
Website-www.rwd.uk.gov.in

Ph. No. 2781556, 2780290
Mail-hod-res-uk@nic.in

पत्रांक 1689/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन-40/2022-23/ दिनांक: जुलाई 08, 2022.

[कार्यालय आदेश]

स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्री नरेश नौटियाल, वैयक्तिक अधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग को प्रशासनिक आधार पर परिमण्डल नैनीताल में निम्न शर्तों के अधीन तैनात किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- माह जुलाई, 2022 का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।




मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, भीमताल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल, पौडी/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल/कर्णप्रयाग।
- 6- सम्बन्धित वैयक्तिक अधिकारी, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 8- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।



मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

के0डी0/

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 1087/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन-06/2022-23

दिनांक 08 जुलाई, 2022

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या PVD2-IRP/1/2022-XXX-2 दिनांक 30.06.2022 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुत किये गये विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है-

क्र० सं०	कनिष्ठ अभि०/अपर सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रदीप कुमार चौहान	हरिद्वार	कोटद्वार (दुर्गम विकासखण्ड)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत	-
2	श्री संजीव कुमार	टिहरी (सुगम विकासखण्ड)	घनसाली	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत	-
3	श्री कृष्ण पाल	हरिद्वार	कोटद्वार (दुर्गम विकासखण्ड)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत	-
4	श्री संदीप सिंह राणा	चमोली	देहरादून (दुर्गम विकासखण्ड)	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत	-
5	श्री नीरज कुमार	भिकियासैण	देहरादून (दुर्गम विकासखण्ड)	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(एक) के अन्तर्गत	-
6	श्री महेन्द्र सिंह राणा	चमोली	पौड़ी	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत	-
7	श्री अमरदीप	डीडीहाट	कोटद्वार (दुर्गम विकासखण्ड)	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत	-
8	श्री विजय सिंह राणा	चमोली	उत्तरकाशी	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत	-
9	कु० सारिका	भिकियासैण	पौड़ी	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(छ:) के अन्तर्गत	-
10	श्री चरण सिंह तनवाल	कोटद्वार (दुर्गम विकासखण्ड)	देहरादून (सुगम विकासखण्ड)	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ग)-(तीन) के अन्तर्गत	-

11	श्री हरीश चन्द्र आर्य	भिकियासैण	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ग)-(तीन) के अन्तर्गत	-
12	श्री रोशन सिंह कैनपुरा	उत्तरकाशी	देहरादून (सुगम विकासखण्ड)	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ग)-(तीन) के अन्तर्गत	-

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। स्थानान्तरित लोक कार्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवतैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का उपयोग कर सकेंगे।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।
- 5- स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं की तैनाती अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा धारा-17 (2)-(ख) के अन्तर्गत की जायेगी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोटद्वार, घनसाली, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, भिकियासैण, उत्तरकाशी एवं डीडीहाट।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार, घनसाली, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, भिकियासैण, उत्तरकाशी एवं डीडीहाट।
- 8- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड कोटद्वार, घनसाली, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चमोली, भिकियासैण, टिहरी एवं डीडीहाट।
- 9- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 1086 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-तीन-06 / 2022-23

दिनांक 05 जुलाई, 2022

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानों एवं उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या PVD2-IRP/1/2022-XXX-2 दिनांक 30.06.2022 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुत किये गये विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है-

क्र० सं०	कनिष्ठ अभि० / अपर सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री हेम चन्द्र आर्य	नैनीताल	पिथौरागढ़	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत	-
2	श्री अनुज कुमार	पिथौरागढ़	हरिद्वार	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ग)-(तीन) के अन्तर्गत	-

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत) एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। स्थानान्तरित लोक कर्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवतैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का उपयोग कर सकेंगे।
- 2- स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं की तैनाती धारा-17 (2)-(ख) के अन्तर्गत की जायेगी।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कमशः-2

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार।
- 8- सम्बन्धित कनि०अभि०/अपर सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 9- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10- कार्यालय आदेश पत्रबंध।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।
दिनांक ०४ जुलाई, 2022
पत्रांक 1088/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन-06/2022-23


"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा श्री चितरंजन जोशी, अपर सहायक अभियन्ता, जो कि वर्तमान में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रान्तीय महासचिव एवं प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में प्रखण्ड भिकियासैण में कार्यरत हैं, को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (2) (घ) के अन्तर्गत प्रखण्ड भिकियासैण से प्रखण्ड देहरादून में रिक्त होने वाले सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः समिति की संस्तुति के आधार पर श्री चितरंजन जोशी, प्रभारी सहायक अभियन्ता को निम्न शर्तों के अनुसार प्रखण्ड देहरादून स्थानान्तरित किया जाता है-

शर्तें-


- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित प्रभारी सहायक अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। स्थानान्तरित लोक कार्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवतैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का उपयोग कर सकेंगे।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आपके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/भिकियासैण।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/भिकियासैण।
- 7- सम्बन्धित प्रभारी सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैण।
- 8- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबंध।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) ग्रामीण निर्माण विभाग,

तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

पत्रांक- 1083 / प्रा0नि0वि0/स्था0-एक-ख/2022-23/ दिनांक: 08 जुलाई: 2022.

// स्थानान्तरण आदेश //

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-PVD2-IRI/1/2022-XXX-2, दिनांक-30.06.2022 के अनुसार स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति किये गये विभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजीव कुमार	प्रखण्ड-देहरादून	प्रखण्ड-उत्तरकाशी	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र अधिनियम की धारा-17 (1)(क) के अन्तर्गत	-
2	श्री अनिल कुमार शर्मा	प्रखण्ड-उत्तरकाशी	प्रखण्ड-हरिद्वार	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र अधिनियम की धारा-17 (1)(ग) के अन्तर्गत	-

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22-23 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 2- स्थानान्तरित कर्मियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उनका मांह जुलाई-2022 का वेतन नव तैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।
- 5- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

ह01-

मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड-देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।


- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 - 2- मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल(स्थित भीमताल)।
 - 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल-देहरादून
 - 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड-देहरादून/उत्तरकाशी/ हरिद्वार।
 - 5- जिलाधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
 - 6- मुख्य विकास अधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
 - 7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
 - 8- उपरोक्त सहायक अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता देहरादून/उत्तरकाशी।
 - 9- महालेखाकार उत्तराखण्ड-देहरादून।
 - 10- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।

मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार।
- 8- सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 9- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10- कार्यालय आदेश पत्रबंध।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड, तपोवन मार्ग, उत्तराखण्ड देहरादून।
पत्रांक 1084/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन-06/2022-23 दिनांक 08 जुलाई, 2022

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या PVD2-IRP/1/2022-XXX-2 दिनांक 30.08.2022 के अनुपालन तथा लोक सेवकों के स्थानान्तरणों हेतु निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार करते हुये कार्यालय आदेश तैयार कर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

क्र० सं०	कनिष्ठ अभि० (प्रा०) का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री तरुण कुमार	देहरादून	पौड़ी	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1) (क) के अन्तर्गत	-
2	श्रीमती शशिप्रभा	बागेश्वर	परिमण्डल पौड़ी	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा-17 (1)-(ख)-(छ) के अन्तर्गत	-

शर्त-

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवतैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। स्थानान्तरित लोक कर्मिक का माह जुलाई 2022 का वेतन नवतैनाती प्रखण्ड से ही आहरित किया जायेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का उपयोग कर सकेंगे।
- 2- स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 4- यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्तर्गत उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकता है।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, भीमताल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, पौड़ी।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी, देहरादून एवं पिथौरागढ़।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर।
- 8- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल देहरादून, प्रखण्ड पौड़ी एवं बागेश्वर।
- 9- प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 10- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।

Fax No. 2780290
Website-www.rwd.uk.gov.in


Ph. No. 2781556, 2780290
Mail-hod-res-uk@nic.in

पत्रांक |०९|/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन-40/2022-23 दिनांक: जुलाई ०४, 2022.

[कार्यालय आदेश]

स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्री रमेश चन्द्र पाठक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रखण्ड डीडीहाट का स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1) का (ग) के अर्न्तगत प्रखण्ड अल्मोडा में स्थानान्तरण कर निम्न शर्तों के अधीन तैनात किया जाता है।


- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- माह जुलाई, 2022 का वेतन नव तैनाती प्रखण्ड से आहरित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, भीमताल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट/अल्मोडा।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, डीडीहाट/अल्मोडा।
- 6- सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 8- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।


मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

के0डी0/

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।

Fax No. 2780290

Website-www.rwd.uk.gov.in

Ph. No. 2781556, 2780290

Mail- hod-res-uk@nic.in

पत्रांक 1092/ग्रा0नि0वि0/स्था0-तीन-40/2022-23/ दिनांक: जुलाई 08, 2022.

[कार्यालय आदेश]

स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्री प्रेमसिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रखण्ड उत्तरकाशी को स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (2) के उप नियम (घ) के अर्न्तगत परिमण्डल देहरादून में स्थानान्तरण कर निम्न शर्तों के अधीन तैनात किया जाता है।


- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- माह जुलाई, 2022 का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 2- मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, भीमताल, नैनीताल।
 - 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल, देहरादून।
 - 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून/उत्तरकाशी।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
 - 6- सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
 - 7- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - 8- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।


मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

के0डी0/

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।

Fax No. 2780290

Website-www.rwd.uk.gov.in

Ph. No. 2781556, 2780290

Mail-hod-res-uk@nic.in


पत्रांक 1093/ग्रा0नि0वि0/स्था-तीन-40/2022-23/ दिनांक: जुलाई 08, 2022.

[कार्यालय आदेश]

स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर मुख्य अभियन्ता(स्तर-2) में कार्मिकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में मुख्य अभियन्ता(स्तर-1) में कार्यरत निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर निम्न शर्तों के अधीन तैनात किया जाता है।


क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित स्थानान्तरण
1	2	3	4
1	श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)	मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)
2	श्री सुभाष चन्द्र जोशी, प्रधान सहायक	मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)	मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)
3	श्री बिजेन्द्र सिंह रडवाल, कनिष्ठ सहायक	मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)	मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- माह जुलाई, 2022 का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 2- मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, भीमताल, नैनीताल।
 - 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्यालय, देहरादून/नैनीताल।
 - 4- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साइबर ट्रेजरी) देहरादून।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
 - 6- सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
 - 7- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - 8- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।


मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।